ग्राम पंचायत भौढ़ा, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भौढ़ा, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत भौढ़ा में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान :–

1	श्रीमति आशा कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

1	श्री विक्रम गौतम	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत भौढ़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का सक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में अन्तर पाया जाना ।	0.89

2	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	10.23
3	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.12
4	6.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना ।	0.02
5	7	खनन सामग्री आपूर्ति हेतु नियमानुसार अपेक्षित ट्रांजिट पास प्राप्त किये बिना अनियमित व्यय/भुगतान	1.74
6	8	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना भुगतान करना ।	0.76
7	9	प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में राशि के अन्तर बारे	6.77

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत भौढ़ा, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15.10.2024 से 21.10.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022–2023	03/2023	09/2022
2023–2024	11/2023	12/2023

<u>अस्वीकरण (Disclaimer)</u>:- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत भौढ़ा, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 416 दिनांक 21.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत भौढ़ा, विकास खण्ड सुलह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्वः स्त्रोत :- ग्राम पंचायत भौढ़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	356750.02	33506	5836	396092.02	111516	284576.02
2023-24	284576.02	62197.71	10194	356967.73	77516	279451.73

(2) अनुदान : ग्राम पंचायत भौढ़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	940484.20	3298336.00	39660.00	4278480.20	3070331.20	1208149.00
2023-24	1208149.00	1849319.00	41694.00	3099162.00	2076561.00	1022601.00

बैंक समाधान विवरणी :-

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDRF,SDP, RGSA

A/c No. 20093004020	KCCC Bhawarna	Own, 5th State	325814
A/c No. 50055919370	KCCC Bhawarna	SDP, VKVNY, SDRF	108865

A/c No. 50055919336	KCCC Bhawarna	TSC		38140
A/c No.50055903062	KCCC Bhawarna	RAY		255
A/C No. 50055919358	KCCC Bhawarna	IAY		313
A/C No. 100174325074	IndusInd Bank Palampur	**RGSA**		68493
A/c No. 50055919369	KCCC Bhawarna	14th FC		419.2
A/c No 1541000102116969	PNB Daroh	15th FC		844034.8
A/c No 88050100015846	GB Bhawarna	**SGRY**		4319
cash in hand				485
			Total	**1391138**
Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)				279451.73
Cash Book Balance on 31.03.2024		5 SFC		16110
Cash Book Balance on 31.03.2024		VKVNY		69364
Cash Book Balance on 31.03.2024		14TH FC		419.2
Cash Book Balance on 31.03.2024		15TH FC		844034.8
Cash Book Balance on 31.03.2024		SDRF		2399
Cash Book Balance on 31.03.2024		SDP		18851
Cash Book Balance on 31.03.2024		**RGSA**		71423
			Total	**1302052.73**
			diffrence	**-89085.27**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.89 लाख का अन्तर पाया जाना :—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः—स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹89,085/— पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 417 दिनांक 21.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी—02/2024 दिनांक 11.

11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व यथास्थिति कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 418 दिनांक 21.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी–02/2024 दिनांक 11.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 निर्देशानुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग बैंक खाते न खोलना:–

निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HA(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.12 में दिये गये निर्देशों अनुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग खाते खोले जाने अपेक्षित हैं ।

पंचायत द्वारा खाता क व ख के अन्तर्गत Own Source, 5TH SFC & SDP, VKVNY, SDRF आदि स्कीमों के लिए हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये एवं उपरोक्त पत्र

में दिये गये निर्देशों के विरूद्ध एक ही बैंक खाता संख्या 20093004020 व खाता सख्या 5005919370 के0सी0सी0बी0 में खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज विभाग के निर्देशों की अवहेलना हुई अपितु खाताबार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान ब्याज व भुगतान/व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः नियमानुसार तुरन्त प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र मे वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये।

5. अनुदान राशि ₹10.23 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹ 10,22,601/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अर्न्तगत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

उक्त शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. पंचायत राजस्व ₹0.12 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹50/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का राजस्व ₹ 11,720/– वसूली हेतु शेष था :–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022—2023	15160	15090	30250	26430	3820
2023—2024	3820	15500	19320	7600	11720

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 419 दिनांक 21.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी–02/2024 दिनांक 11.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेगें तथा बकाया राशि ₹ 11,720/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

6.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹0.02 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0, शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹2475** प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहींकरवाया गया था :–

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि (₹)**
1	2022–23	1850.00
2	2023–24	625.00

विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 420 दिनांक 21.10.24 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी–02/2024 दिनांक 11.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

7. खनन सामग्री की आपूर्ति के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित ट्रांजिट पास प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹1.74 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा

जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्राँजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्राँजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान ₹1,73,555/– की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 421 दिनांक 21.10.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या जीपीबी–02/2024 दिनांक 11.11.2024 द्वारा सूचित किया कि फार्म एक्स व डब्ल्यु प्राप्त नहीं किये गये हैं। भविष्य में उक्त फार्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया ।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्ध एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.76 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 75,782/— के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 422 दिनांक 21.10.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी—02/2024 दिनांक 11.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में निविदायें प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा ।

अतः अंकेक्षणावधि के दौरान नियम प्रावधानों के विपरीत कृत समस्त व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि (₹)	कार्य का नाम
40, 07.09.22	बिल नं0 017 दि0 5.4.22 विकास कुमार	टीन शैड लेबर व रंग रोगन	53000.00	नि0 टीन शैड लोहटीं SDP
45, 07.09.22	बिल नं0 972 दि0 18.08.22 मुस्कान सीमेंट स्टोर	सरिया	22782.00	अपवर्धन पंचायत घर 14th FC

9. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹6.77 लाख की राशि के अन्तर बारेः—

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ—साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई—पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण में जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा था तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे है, उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹ 6,77,913.98 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः—

31.03.2024 को प्रिया सार्फ़टवेयर में संधारित रोकडबही का अन्तशेष	₹	1979966.71
31.03.2024 को मैनुअल में संधारित रोकडबही का अन्तशेष	₹	1302052.73
अन्तर	₹	677913.98

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 423 दिनांक 21.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी—02/2024 दिनांक 11.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफट तथा मैनुअल लेखों को ठीक करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

10. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे ।

हि0प्र0 पंचायती रात (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार कनिष्ठ अभियन्ता स्तर पर करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 424 दिनांक 21.10.2024 द्वारा अवगत करवाया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्याः जीपीबी–02/2024 दिनांक 11.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त कार्य प्रगति पर है। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) की अनुपालना सुनिश्चित न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख नियमानुसार अंकेक्षण सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

वित्तीय वर्ष	**2022-23 व 2023-24**
1	नि0 टीन शैड लोहटीं VKVNY
2	रास्ता बस स्टैंड लोंहटी से वाह नाला की ओर 14th FC
3	नि0 सामुदायिक टीन शैड टीका गदियाडा SDP
4	अपवर्धन महिला मण्डल कुट 14th FC
5	अपवर्धन किचन शैड पंचायत घर 14th FC

11. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते

किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था फलस्वरूप किसी भी स्तर पर सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

13. **लघु आपत्ति विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

14. **निष्कर्ष** :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का० प्र०

592–596 20 JAN 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)448 / 2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भौढा, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

20 JAN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का० प्र०

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Bhouda" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2	5 SFC	25950	208900	0	234850	236340	-1490
3	VKVNY	0	313000	4212	317212	376993	-59781
4	14TH FC	361845.2	5914	5203	372962.2	365591	7371.2
5	15TH FC	512940	490531	15956	1019427	272917.2	746509.8
7	SDRF	27537	0	0	27537	45138	-17601
9	SDP	12212	461991	0	474203	455352	18851
14	RGSA	0	500000	14289	514289	0	514289
16	MNREGA	0	1318000	0	1318000	1318000	0
	Total Rs.	940484.2	3298336	39660	4278480.2	3070331.2	1208149

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Bhouda" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2	5 SFC	-1490	258840	0	257350	241240	16110
3	VKVNY	-59781	320000	1227	261446	192082	69364
4	14TH FC	7371.2	0	48	7419.2	7000	419.2
5	15TH FC	746509.8	157585	21955	926049.8	82015	844034.8
7	SDRF	-17601	20000	0	2399	0	2399
9	SDP	18851	0	0	18851	0	18851
14	RGSA	514289	5940	18464	538693	467270	71423
16	MNREGA	0	1086954	0	1086954	1086954	0
	Total Rs.	1208149	1849319	41694	3099162	2076561	1022601

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, [illegible],SDP,[illegible],RGSA,SDRF, [illegible]

A/c No. 20093004020	KCCC Bhawarna	Own, 5th State	325814
A/c No. 50055919370	KCCC Bhawarna	SDP; VKVNY, SDRF	108865
A/c No. 50055919336	KCCC Bhawarna	TSC	38140
A/c No.50055903062	KCCC Bhawarna	RAY	255
A/C No. 50055919358	KCCC Bhawarna	IAY	313
A/C No. 100174325074	IndusInd Bank Palampur	RGSA	68493
A/c No. 50055919369	KCCC Bhawarna	14th FC	419.2
A/c No 1541000102116969	PNB Daroh	15th FC	844034.8
A/c No 88050100015846	GB Bhawarna	SGRY	4319
cash in hand			485
		Total	1391138

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		279451.73
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	16110
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	69364
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC	419.2
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	844034.8
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDRF	2399
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	18851
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA	71423
	Total	1302052.73
	diffrence	-89085.27

Secretary
Gram Panchayat BHOUDA
Dev. Block Sulah (Kangra) H.P.

Financial Position of Own sources in r/o GP Bhouda

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	356750.02	33506	5836	396092.02	111516	284576.02
2023-24	284576.02	62197.71	10194	356967.73	77516	279451.73

Secretary
Gram Panchayat BHOUDA
Dev. Block Sulah (K[illegible]ra) H.P.

२२
परिशिष्ट-2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 के सम्बन्ध में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Bhouda **Distt.Kangra,H.P.**

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	15160	15090	30250	26430	3820
2023-24	3820	15500	19320	7600	11720

Secretary
Gram Panchayat BHOUDA
Dev. Block Sulah (K.   a) H.P.

17

परिशिष्ट - 3
अभिलेख प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 7 के सन्दर्भ में

Gram Panchayat Bhouda Block Dev office Sullah 2022-23 & 2023-24

Sr No	Head	Name Of Work	Bill No	Vendor Name	Bill Date	Payment Date	Sand (CFT)	Aggri gate(	Boul der	Gatk a	Amo unt
1	Mgnrega	नि.खेल मैदान रा.प्रा.पा. भौड़ा	36	Er.Pranshu Builders	2/8/2022	1/9/2022	180	180	0	0	15660
2	Mgnrega	निर्माण पुली पिंकी देवी जी के घर के पास नाले में गाँव साई वार्ड न 1	27	Er.Pranshu Builders	2/8/2022	1/9/2022	180	360	0	0	22320
3	Mgnrega	नि.एम्बुलैंश रोड मेन सड़क से चिड़नी रेहड़ा की ओर गाँव लोहटी वार्ड 4	29	Er.Pranshu Builders	2/8/2022	1/9/2022	180	180	0	0	15660
4	Mgnrega	नि.पक्का रास्ता सामुदायिक भवन साई से मंदिर की ओर वार्ड 1	32	Er.Pranshu Builders	2/8/2022	1/9/2022	180	180	0	0	15660
5	Mgnrega	नि.पक्का रास्ता पुली से जहनेहड़ की ओर जग्नेहड़ वार्ड न. 3	30	Er.Pranshu Builders	2/8/2022	1/9/2022	180	180	0	0	15660
6	Mgnrega	नि.सम्पर्क मार्ग गदियाड़ा मुल्तान सिंह जी के घर से मेन सड़क की ओर वार्ड न. 2	34	Er.Pranshu Builders	2/8/2022	1/9/2022	180	180	0	0	15660
7	Mgnrega	नि.वाटर टैंक ठाकुर दास पुत्र जगरनाथ शर्मा	33	Er.Pranshu Builders	2/8/2022	1/9/2022	180	180	0	0	15660
8	Mgnrega	नि.वाटर टैंक राजीव सिंह पटियाल पुत्र हरनाम सिंह जी की जमीन पर वार्ड न.1	31	Er.Pranshu Builders	2/8/2022	1/9/2022	180	180	0	0	15660
9	VKVNY	नि.टीन शेड कुट	21	Er.Pranshu Builders	1/8/2022	26/09/2022	**180**	**35**	**0**	**0**	**10295**
10	VKVNY	नि.टीन शेड लौटी (2023-24)	152	Er.Pranshu Builders	26/12/2023	26/12/2023	360	360	0	0	31320
							1980	2015	0	0	173555

Secretary
Gram Panchayat BHOUDA
Dev. Block Sulah (Kangra) H.P.

18